

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2022/ 127
प्रार्थी

दिनांक - 18/11/23

बनाम

अप्रार्थीगण

1 टीकु पुत्र भेरा जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील व जिला बाड़मेर।

1 मंगलाराम पुत्र भीमाराम जाति भील 2 संगतसिंह पुत्र मगसिंह जाति राजपूत 3 उदाराम पुत्र पुनमाराम जाति मेगवाल 4 सवाईराम पुत्र नखताराम 5 भीखाराम 6 गिरधारीराम पिसरान बगताराम जाति कुम्हार निवासी सोनड़ी तहसील व जिला बाड़मेर 7 तहसीलदार बाड़मेर।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 140/2021

दिनांक- 12/11/2023

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सोनड़ी पटवार क्षेत्र विशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के

खसरा संख्या 314/213 रकबा 41.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 18/11/2023

क्रमांक :- रीडर/2022/128-131

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी विशाला आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. टीकु पुत्र भेरा जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मंगलाराम पुत्र भीमाराम वगैराह जाति भील निवासी सोनड़ी तहसील बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर